



सत्यमेव जयते

आर एफ डी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

हेतु

परिणामी रूपरेखा दस्तावेज

(2011-2012)

खण्ड 1 :

विज्ञान, मिशन और कार्य

विज्ञान

उत्तम कार्यशील दशाएं तथा श्रमिकों के जीवन की उन्नत गुणवत्ता, भारत में बच्चों से संकटपूर्ण सेक्टरों में श्रम न कराया जाना सुनिश्चित करना तथा रोजगार सेवाओं एवं कौशल विकास द्वारा रोजगारपरकता का स्थायी आधार पर संवर्धन करना।

मिशन

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने, कार्य की दशाओं को विनियमित करने, श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संकटपूर्ण व्यवसायों व प्रक्रमों से बाल श्रम के उन्मूलन, श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुदृढ़ बनाने तथा कौशल विकास एवं रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियां/कार्यक्रम/योजनाएं/परियोजनाएं स्थापित एवं क्रियान्वित करते हुए श्रमिकों की कार्यशील दशाएं सुधारना व उनके जीवन की गुणवत्ता उन्नत बनाना।

उद्देश्य

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।
2. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।
4. कौशल विकास को बढ़ावा देना
5. रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना
6. औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।
7. कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना

कार्य

1. श्रम तथा प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना एवं केंद्रीय रूप से मजदूरियों, तथा कार्य की अन्य दशाओं को विनियमित करना।
2. जिन इकाईयों में केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार है, उनके संदर्भ में औद्योगिक संबंध उन्नत बनाने के लिए श्रम कानून अधिनिर्णयों, अनुबंधों, अनुशासन संहिता इत्यादि का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों तथा प्रविधियों इत्यादि के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना।
4. खदानों एवं फैक्टरियों में कार्य की दशाओं व सुरक्षा नियमों को विनियमित करना।
5. खनन उद्योग तथा बीड़ी उत्पादन में नियुक्त श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करना।
6. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन की निगरानी करना।

खण्ड 1 :

विज्ञान, मिशन और कार्य

7. राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतिगत रूपरेखा, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन रखना।
8. प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की रोजगार संभावनाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना।
9. मजदूरी, सभी भत्ते और अन्य संबंधित मामलों पर डेटा को बनाए रखने के लिए.
10. श्रमिकों के सभी वर्गों को उनको राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए संवेदनशील करना
11. असंगठित श्रमिकों के कुछ निश्चित सेक्शनों के लिए कल्याणकारी उपाय करना।
12. विविध श्रम विषयों पर पूछताछ, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करना।
13. औद्योगिक संबंधों तथा श्रम के क्षेत्र में सामान्य प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान एवं सलाहकार सेवाओं के दायित्व स्वीकार करना।
14. बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में सहायता करना।

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपार्यों का संवर्धन करना।	15.00	[1.1] राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	[1.1.1] शामिल किए गए जिलों की संचयी संख्या	सं.	4.00	400	370	365	350	340
			[1.1.2] जारी किए गए स्मार्ट कार्ड की संचयी संख्या	सं. (करोड़ों में)	4.00	2.60	2.50	2.47	2.45	2.40
			[1.1.3] अध्ययन को पूरा करना तथा कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना।	तारीख	2.00	01/01/2012	15/01/2012	01/02/2012	28/02/2012	31/03/2012
		[1.2] बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	[1.2.1] बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मंजूर	सं. (लाख में)	2.00	9.5	9	7.5	7	7.5
			[1.2.2] घर बनाने के लिए अनुदान की मंजूरी	सं.	2.00	26000	24000	23000	21500	20000
			[1.2.3] वर्ष 2010-11 में बनाए गए मूल्यांकन अध्ययन पर उठाए गए कदम की सूचना।	तारीख	1.00	31/07/2011	31/07/2011	31/09/2011	31/10/2011	31/11/2011
[2] संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	10.00	[2.1] कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	[2.1.1] नये केन्द्र खोले	सं.	1.00	55	50	45	40	35
			[2.1.2] राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	2.00	350	325	300	275	260
			[2.1.3] चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	2.00	400	370	345	325	300

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
			[2.1.4] नए ईएसआईसी अस्पतालों को खोलना	सं.	1.00	4	3	2	1	0
		[2.2] कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	[2.2.1] 30 दिनों के भीतर सभी दावों (फार्म 10ए/10डी को छोड़कर) का निपटान	%	1.00	65	55	50	45	40
			[2.2.2] 30 दिनों के भीतर मासिक पेंशन के दावों (फार्म 10ए/10डी) का निपटान	%	1.00	65	55	50	45	40
			[2.2.3] प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि	सं.	1.00	45000	42000	40000	38000	36000
			[2.2.4] सदस्यता में वृद्धि	सं.	1.00	2500000	2200000	2000000	1800000	1600000
[3] संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	10.00	[3.1] राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	[3.1.1] विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	1.00	50000	45000	40000	35000	30000
			[3.1.2] विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	4.00	50000	45000	40000	35000	30000
		[3.2] बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ	[3.2.1] जागरूकता अभियान पर खर्च राशि	सं. (करोड़ों में)	2.00	5	4	3	2	1

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
[4] कौशल विकास को बढ़ावा देना	19.00	[4.1] विश्व बैंक की सहायता से आईटीआईज को सीओई के रूप में उन्नयन करना।	[4.1.1] जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ों में)	3.00	100	90	70	70	60
		[4.2] कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	[4.2.1] एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	4.00	300000	270000	240000	210000	180000
		[4.3] महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	[4.3.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाली महिलाओं की संख्या	सं.	4.00	9000	7200	7000	6500	5400
		[4.4] रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के सामान्य संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	[4.4.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	सं.	4.00	23500	20700	17400	16100	13700
		[4.5] राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) का पुनर्गठन।	[4.5.1] एनसीवीटी को एक संवैधानिक निकाय बनाने के लिए कानून हेतु केबिनेट नोट का	तारीख	1.00	31/01/2012	15/02/2012	28/02/2012	15/03/2012	31/03/2012
		[4.6] कारीगर प्रशिक्षण योजना के तहत कोर्स प्रारूप का मॉडुलर	[4.6.1] मॉडुलर कोर्स की तैयारी	सं.	1.00	116	104	93	71	70
		[4.7] भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा किए अध्ययन	[4.7.1] उठाए गए कदमों की रिपोर्ट	तारीख	2.00	31/07/2011	31/07/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
5] रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	10.00	[5.1] रोजगार पर लगे लोगों की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी करना	[5.1.1] जारी की गई रिपोर्ट	तारीख	2.00	31/07/2011	31/07/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011
		[5.2] कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	[5.2.1] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	1.00	13100	130000	107000	94500	71000
			[5.2.2] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध	सं.	1.00	10500	10000	7500	7500	6500
			[5.2.3] प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	1.00	1200	1050	700	750	650
			[5.2.4] अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	1.00	2000	1500	1300	1200	1000

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		[5.3] निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और	[5.3.1] वीआरसी की भर्ती	सं.	2.00	30500	30000	27000	26000	20000
			[5.3.2] प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	1.00	29500	29000	26000	24000	19000
			[5.3.3] पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	1.00	11000	10000	9000	7000	7000
			[5.4] रोजगार एक्सचेंज का संशोधन (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959	[5.4.1] कैबिनेट नोट का परिसंचरण	तारीख	2.00	31/07/2011	31/10/2011	31/12/2011	31/01/2012
[6] औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	9.00	[6.1] श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	[6.1.1] बीओसीडब्ल्यू अधिनियम सहित सभी श्रम कानूनों के तहत की गई जांच	सं.	2.00	41000	37000	32800	28700	24600
			[6.1.2] गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मुकदमें दायर	सं.	1.00	2050	1850	1640	1435	1230
		[6.2] औद्योगिक विवादों का निबटारा	[6.2.1] औद्योगिक विवाद खत्म किए गए	सं.	4.00	5000	4500	4000	3500	3000

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		[6.3] मुख्य श्रम आयुक्त के (केंद्रीय) संगठन में ई-शासन	[6.3.1] वेबसाइट का शुभारंभ	तारीख	1.00	31/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012
		[6.4] केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	[6.4.1] अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।	सं.	1.00	110	100	90	70	70
[7] कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	10.00	[7.1] श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टोरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	[7.1.1] डायरेक्ट्रेट जेनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजीएफएसएलआई) के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (सीएलआई) और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (आरएलआई) स्थिति विभिन्न प्रयोगशालाओं का समुन्नयन	रु. (करोड़ों में)	1.00	2.75	2.50	2.25	2.0	1.75
			[7.1.2] डीजीएफएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन	सं.	1.00	52	47	43	37	33
			[7.1.3] प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	2.00	2750	2650	2450	2250	2050
			[7.1.4] रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच	सं.	1.00	750	725	700	675	650

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		[7.2] खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	[7.2.1] डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	4.00	9425	9200	7775	7600	7400
			[7.2.2] डीजीएमएस द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया	सं.	1.00	161	155	150	145	140
* आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	3.00	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना	समय पर प्रस्तुत	तारीख	2.00	07/03/2011	07/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011
		परिणामों को समय पर जमा करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	1.00	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/अनुक्रियाशीलता/सेवा प्रदायन में वृद्धि	10.00	सेवोत्तम का क्रियान्वयन	सिटीजन/क्लाइंट चार्टर का पुनरीक्षित मसौदे का पुर्नप्रस्तुतिकरण	तारीख	2.00	15/12/2011	20/12/2011	25/12/2011	27/12/2011	31/12/2011
			ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म के क्रियान्वयन का स्वतंत्र ऑडिट (शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन का स्वतंत्र लेखा परीक्षण)	%	2.00	100	95	90	85	80
		आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अनुपालन को सुनिश्चित करना।	मदों की संख्या जिनपर 10 फरवरी 2012 तक सूचना अपलोड की गई।	सं.	2.00	16	15	14	13	12

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		विभागीय गतिविधियों से जुड़े भ्रष्टाचार के क्षेत्रों की पहचान करना तथा उन्हें समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना का निर्माण करना।	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देना।	तारीख	2.00	10/02/2012	15/02/2012	20/02/2012	24/02/2012	29/02/2012
		कार्य योजना को विकसित करने के लिए आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र को लागू करना	कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र को लागू करना	तारीख	2.0	10/02/2012	15/02/2012	20/12/2012	24/12/2012	29/12/2012
* फाइनेंसियल एकाउंटबिलिटी फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	2.00	सीएंडएजी (C&AG) के ऑडिट पैराज के संदर्भ में एटीएन (ATNs) का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण।	वर्ष के दौरान सीएजी (CAG) द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन (ATNs) का प्रतिशत।	%	0.50	100	90	80	70	60
		पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में पीएसी सचिवालय को एटीआर (ATRs) का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर (ATRs) का प्रतिशत।	%	0.50	100	90	80	70	60

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई सी एंड एजी (C&AG) रिपोर्ट्स के ऑडिट पैरा के संदर्भ में लंबित एटीएन (ATNs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में लंबित एटीआर (ATRs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उद्देश्य(यों)

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
[1] असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	[1.1] राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	[1.1.1] शामिल किए गए जिलों की संचयी संख्या	सं.	240	295	380	450	450
		[1.1.2] जारी किए गए स्मार्ट कार्ड की संचयी संख्या	सं. (करोड़ों में)	1.2	1.90	2.50	3.00	3.00
		[1.1.3] अध्ययन को पूरा करना तथा कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना।	तारीख	--	15/01/2011	15/01/2012	--	--
	[1.2] बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	[1.2.1] बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मंजूरी	सं. (लाखों में)	16	9	9	9	9
		[1.2.2] घर बनाने के लिए अनुदान की मंजूरी	सं.	28970	26000	24000	24000	24000
		[1.2.3] वर्ष 2010-11 में बनाए गए मूल्यांकन अध्ययन पर उठाए गए कदम की सूचना।	तारीख	--	15/01/2011	31/08/2011	--	--
[2] संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	[2.1] कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	[2.1.1] नये केन्द्र खोले	सं.	53	60	50	40	35

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
		[2.1.2] राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	300	350	325	300	200
		[2.1.3] चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	669	500	370	450	300
		[2.1.4] नए ईएसआईसी अस्पतालों को खोलना।	सं.	17	8	3	--	--
	[2.2] कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	[2.2.1] सभी दावों (फॉर्म 10ए / 10डी को छोड़कर) का निपटारा 30 दिनों के भीतर।	%	58.98	60	55	70	70
		[2.2.2] मासिक पेंशन दावों का निपटारा (फॉर्म 10ए / 10डी) 30 दिनों के भीतर।	%	55.23	60	55	70	70
		[2.2.3] प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि	सं.	40361	42000	42000	43000	43000
		[2.2.4] सदस्यता में वृद्धि	सं.	2152771	2200000	2200000	2500000	2500000

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
[3] संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	[3.1] राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	[3.1.1] विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	39558	42000	45000	55000	60000
		[3.1.2] विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	67443	42000	45000	55000	60000
	[3.2] बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ	[3.2.1] जागरूकता अभियान पर खर्च राशि	रु. (करोड़ों में)	--	--	4	5	5
[4] कौशल विकास को बढ़ावा देना	[4.1] विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई/ज को सीओई के रूप में उन्नयन करना।	[4.1.1] जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ों में)	196.34	192.28	90	253.65	--
	[4.2] कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	[4.2.1] एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	575489	421532	270000	--	--
	[4.3] महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	[4.3.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाली महिलाओं की संख्या।	सं.	7868	8144	8200	9500	9500

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
	[4.4] रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के आम संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	[4.4.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।	सं.	18400	20500	20700	22500	23200
	[4.5] राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) का पुनर्गठन।	[4.5.1] एनसीवीटी को एक संवैधानिक निकाय बनाने के लिए कानून हेतु केबिनेट नोट का सर्कुलेशन।	तारीख	--	--	15/02/2012	--	--
	[4.6] कारीगर प्रशिक्षण योजना के तहत कोर्स प्रारूप का मॉड्यूलर कोर्स में संशोधन।	[4.6.1] मॉड्यूलर कोर्स की तैयारी।	सं.	--	--	104	--	--
	[4.7] भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा किए अध्ययन की अनुशंसा पर उठाए गए कदम की सूचना।	[4.7.1] उठाए गए कदमों की रिपोर्ट	तारीख	--	--	31/08/2011	--	--
[5] रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	[5.1] रोजगार पर लगे लोगों की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी करना	[5.1.1] जारी की गई रिपोर्ट	तारीख	--	15/06/2011	31/08/2011	31/08/2012	31/08/2013

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
	[5.2] कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	[5.2.1] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	130000	130000	130000	133000	135000
		[5.2.2] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सं.	10000	10000	10000	11000	11000
		[5.2.3] प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	1050	1050	1050	1300	1400
		[5.2.4] अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	1000	1000	1500	2000	2000

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
	[5.3] निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और स्थापनाएं।	[5.3.1] वीआरसी की भर्ती	सं.	27000	30000	30000	30000	30000
		[5.3.2] प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	26000	29000	29000	29000	29000
		[5.3.3] पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	8700	10000	10000	11000	11000
	[5.4] रोजगार एक्सचेंज का संशोधन (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959	[5.4.1] कैबिनेट नोट का परिसंचरण	तारीख	--	--	31/10/2011	--	--
[6] औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	[6.1] श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	[6.1.1] बीओसीडब्ल्यू अधिनियम सहित सभी श्रम कानूनों के तहत की गई जांच	सं.	42970	36900	37000	41000	41000
		[6.1.2] गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मुकदमों में दायर	सं.	2754	1845	1850	2050	2050

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
	[6.2] औद्योगिक विवादों का निबटारा	[6.2.1] औद्योगिक विवाद खत्म किए गए	सं.	5129	4450	4500	5000	5000
	[6.3] मुख्य श्रम आयुक्त के (केंद्रीय) संगठन में ई-शासन	[6.3.1] वेबसाइट का शुभारंभ	तारीख	--	--	31/12/2011	--	--
	[6.4] केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	[6.4.1] अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।	सं.	103	90	100	90	90
[7] कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	[7.1] श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	[7.1.1] डायरेक्ट्रेट जेनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजीएफएसएलआई) के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (सीएलआई) और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (आरएलआई) स्थिति विभिन्न प्रयोगशालाओं का समुन्नयन।	रु. (करोड़ों में)	2.73	2.34	2.50	2.80	2.85
		[7.1.2] डीजीएफएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन	सं.	54	45	48	52	53

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
		[7.1.3] प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	2958	2600	2650	2900	2950
		[7.1.4] रेस्परेटरी और नॉन-रेस्परेटरी पीपीई की जांच	सं.	656	715	725	800	825
	[7.2] खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	[7.2.1] डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	7080	9194	9200	9700	9775
		[7.2.2] डीजीएमएस द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया	सं.	--	139	155	171	172
* आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना	समय पर प्रस्तुत	तारीख	29/11/2009	05/03/2010	07/03/2011	--	--
	परिणामों को समय पर जमा करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	30/04/2010	28/04/2011	03/05/2011	--	--
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/ अनुक्रियाशीलता/सेवा प्रदायन में वृद्धि	सेवोत्तम का क्रियान्वयन	सिटीजन/क्ला इंट चार्टर का पुनरीक्षित मसौदे का पुनर्प्रस्तुतिकरण	तारीख	--	--	95	--	--

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
		ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म के क्रियान्वयन का स्वतंत्र ऑडिट (शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन का स्वतंत्र लेखा परीक्षण)	%	--	--	95	--	--
	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अनुपालन को सुनिश्चित करना।	मदों की संख्या जिनपर 10 फरवरी 2012 तक सूचना अपलोड की गई।	सं.	--	--	15/12/2011	--	--
	विभागीय गतिविधियों से जुड़े भ्रष्टाचार के क्षेत्रों की पहचान करना तथा उन्हें समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना का निर्माण करना।	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देना।	तारीख	--	--	15/12/2011	--	--
	कार्य योजना को विकसित करने के लिए आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र को लागू करना	कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र को लागू करना	तारीख	--	--	15/12/2011	--	--

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
				वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12		
* फाइनेन्सियल एकाउंटबिलिटी फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	सीएंडएजी (C&AG) के ऑडिट पैराज के संदर्भ में एटीएन (ATNs) का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण।	वर्ष के दौरान सीएजी (CAG) द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन (ATNs) का	%	--	100	90	--	--
	पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में पीएसी सचिवालय को एटीआर (ATRs) का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर (ATRs) का प्रतिशत।	%	--	100	90	--	--
	31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई सीएंडएजी (C&AG) रिपोर्ट्स के ऑडिट पैरा के संदर्भ में लंबित एटीएन (ATNs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत।	%	--	50	90	--	--
	31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में लंबित एटीआर (ATRs) का शीघ्र निस्तारण 31.3.2011	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत।	%	--	100	90	--	--

* अनिवार्य उद्देश्य(यों)

खण्ड 4:

मापन पद्धति दिशानिर्देशों और सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं

सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं, गतिविधियों के सापेक्ष इंगित हैं। मापन पद्धति दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है।

उद्देश्य 1: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।

आरएसबीवाई :असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच लोगों की यूनिट) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंतर्गत स्मार्ट कार्ड के आधार पर रु. 30,000 तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, 01.04.2008 से लागू हुई। यह स्कीम, प्रवासी श्रमिकों हेतु कार्ड मूल्य को विभाजित करते हुए स्मार्ट कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करती है। लाभार्थी, बीमा पैकेज प्रदान करने के लिए सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के सेवाप्रदाताओं को सम्मिलित करते हुए बनाए गए पैनल में शामिल पूरे देश के किसी भी अस्पताल (सरकारी/निजी) में उपचार हेतु पात्र होता है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को भी कवर किया गया है। प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में प्रीमियम में 90:10 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। चूंकि यह स्कीम, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए राज्यों की सहभागिता अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने निविदा दस्तावेज, संविदा दस्तावेज, लाभार्थियों के नामांकन हेतु टेम्पलेट आदि मॉडल दस्तावेज तैयार किए हैं। राज्य सरकारों को स्कीमों के लाभों के प्रति सहमत कराने के लिए मंत्रियों/उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकें आयोजित की गईं। 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने उठाए गए कदम के परिणामस्वरूप, योजना के क्रियांवयन की पहल की है। इन 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 25 राज्य- अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और चंडीगढ़ प्रशासन ने स्मार्ट कार्ड जारी करना आरंभ कर दिया है और 2.32 करोड़ से अधिक कार्डों का वितरण किया जा चुका है। हालांकि इस योजना की सफलता मुख्यतः राज्यों के सहयोग पर निर्भर करती है, जिसके तहत वे प्रीमियम के राज्य हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हैं, प्रस्तावित टेम्पलेट में बीपीएल डेटा को तैयार करते हैं, तथा आरएसबीवाई के तहत नामांकन के लिए फील्ड के मुख्य ऑफिसर्स उपलब्ध कराते हैं।

इस योजना की सफलता दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लक्षित आबादी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में काफी कारगर रहेगी।

आरएसबीवाई के तहत धारा 2 तथा 3 में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे जिलों की संघीय संख्या में परिवर्तन लाया गया है, जहां आरएसबीवाई का क्रियांवयन आरंभ नहीं हो सका है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हेतु परिणामी रूपरेखा दस्तावेज (2011-2012)

जारी किए कार्डों की संचयी संख्या को संशोधित किया गया है, क्योंकि कवर किए जा रहे उत्तर पूर्वी राज्यों समेत अन्य नए जिले छोटे हैं तथा उनमें बीपीएल लोगों की संख्या अल्प है।

छात्रवृत्ति: बीड़ी श्रमिकों के ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 या इससे ऊपर (पीजी और प्रोफेशनल डिग्रियां) में पढ़ रहे हैं, उन्हें रु. 250 से लेकर रु. 8000 तक प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। संबंधित कल्याण आयुक्त, आवेदन पत्रों की छंटनी करते हैं और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वीकृति आदेश निर्गत करते हैं। यह छात्रवृत्ति, संबंधित स्कूल/कॉलेज के प्रधानाध्यापक के नाम से जारी बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में दी जाती है या इसे व्यक्ति के बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है।

कल्याण आयुक्तों ने मंत्रालय को मंजूर छात्रवृत्ति के विवरण सौंपे हैं। डब्ल्यूसी कार्यालय से प्राप्त सभी डेटा टारगेट वैल्यू में दिखाए गए हैं।

पहले वर्ष 2008-09 में लगभग 60 करोड़ रु. का बैकलॉग था, जिसे वर्ष 2009-10 में किसी तरह पूरा किया गया, जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने 40 करोड़ रु. के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया था। वर्ष 2010-11 में इसे छात्रवृत्ति मद के तहत घटाकर पुनः रु. 107 करोड़ किया गया तथा वर्ष 2011-12 के दौरान इसे पुनः घटाकर रु. 77 करोड़ कर दिया गया। इसे निम्नांकित तालिका में देखा जा सकता है:

छात्रवृत्ति के लिए बजट आबंटन

रु. (करोड़ों में)

वर्ष	बजट आबंटन
2009-10	127.23
2010-11	107.76
2011-12	77.00

आवास : बीड़ी श्रमिकों हेतु पुनरीक्षित एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों, सहकारी सामूहिक आवास समितियों, और राज्य सरकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए दो समान किशतों में रु. 40,000 की अनुदान राशि प्रति आवास प्रदान की जाती है। प्रस्तावों को प्रक्रमित किया जाता है, मकानों के निरीक्षण किए जाते हैं तथा औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। 31मार्च, 20 12 तक स्वीकृत मकानों की संख्या, तथा मकानों के निर्माण हेतु अवमुक्त अनुदान राशि, सफलता के सूचक हैं। सफलता, राज्य सरकारों तथा व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों से श्रम कल्याण संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त आवास प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है और मकानों के निर्माण की प्रगति से राज्य सरकार/व्यक्तिगत श्रमिकों/सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से अवगत कराया जाता है। स्वीकृत मकानों की संख्या, तथा अवमुक्त की गई अनुदान राशि, सरकार द्वारा स्वीकृत बजट पर निर्भर करती है क्योंकि यह आयोजनेतर क्रियाकलाप है। इससे बीड़ी मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आ सकेगा।

कल्याण आयुक्त हाउसिंग अनुदान के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को सौंपता है। मंत्रालय से कल्याण आयुक्त को हाउसिंग अनुदान निर्गत करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा आरआईएचएस योजना के तहत आवंटित फंड की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हाउसिंग लक्ष्यों के निर्माण के लिए हाउसिंग अनुदान के लिए बजट आवंटन 26000 उत्कृष्ट के लिए, 24000 अत्यंत उत्तम, , 23000 उत्तम के लिए, 21500 अच्छे के लिए तथा 20000 बुरे के लिए संशोधित किया गया है, जो बजट में कमी के कारण है।

धारा 3 में , 2010-11 के लिए लक्ष्य मूल्य और 2011-12 के लिए अनुमानित मूल्य तदनुसार संशोधित किया गया था
संशोधित आवास योजना के तहत बजट आवंटन (आरआईएचएस) – 2007

रु. (करोड़ों में)

वर्ष	बजट आवंटन
2009-10	60.92
2010-2011	55.00
2011-12	53.00

उद्देश्य 2: संगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

वर्ष 2011-12 के लिए प्रतिबिंबित मान का लक्ष्य इस प्रकार है:

- नए केंद्रों का शुभारंभ:** योजना के किसी नए केंद्र पर विस्तार करने से पहले, राज्य सरकार को बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के लिए मेडिकल सेवा का प्रावधान करना होगा। योजना के चरणवार प्रसार के साथ, गैर-क्रियान्वित क्षेत्रों की संख्या धीरे-धीरे कम हुई है, जहां मजदूरों का पर्याप्त घनत्व है और इसके लिए डिस्पेंसरी तथा द्वितीय व तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के मद्देनजर इस योजना को वहां तक प्रसार किया जा सकता है। इसके अनुसार 2011-12 के लिए लक्ष्य उतना ही रखा गया है, जितने का हासिल किया जा सके।
- सरकारी अस्पतालों में आरक्षित बेड समेत बेड क्षमता में वृद्धि:**
 अस्पतालों में बेडों की अतिरिक्त संख्या के प्रावधान मुख्यतः दो कारकों से जुड़े हैं। पहला, नए अस्पतालों के निर्माण के क्रियावयन केंद्रों में कवर किए गए कर्मचारियों का अधिकतम घनत्व नहीं है। वर्तमान नियम के अनुसार ESI अस्पताल के लिए 25000 l.ps की आवश्यकता है। दूसरा, केवल किसी मौजूदा अस्पताल में जहां कब्जा (ऑक्युपेंसी) अधिकतम स्तर पर पहुंचता है, वहां अतिरिक्त बेड लगाना तार्किक माना जा सकता है। उपरोक्त पारामीटर के मद्देनजर बेड क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि वर्ष में 2011-12 घटा दी गई है।
- मेडिकल कर्मचारी (डॉक्टर की भर्ती) की प्रस्तावित वृद्धि से जुड़ी संख्या को संबद्ध केडर के मद्देनजर ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा यथातथ्य तथा उचित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशलिटी में गैर-उपलब्धता जैसे कारकों, और साथ ही बढ़ती हुई अपघर्षण दर पर भी विचार किया गया है।

4. नए अस्पतालों का शुभारंभ:

- i) क्रियांवयन वाले क्षेत्र में नए अस्पतालों को चालू करना होगा।
- ii) इसके लिए राज्य सरकार से पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii) राज्य सरकार द्वारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि यह नए ईएसआई अस्पतालों के लिए एक पूर्व आवश्यकता है।
- iv) वर्तमान नियमों के अनुसार, क्रियांवयन क्षेत्र/केंद्र के आई.पी घनत्व 25,000 से अधिक होना चाहिए, जो नए अस्पताल को खोलने की एक शर्त है।

5. दावों की निपटारा

- i) "ओल्ड एज बेनिफिट्स (दावों का % निपटारा 30 दिनों के भीतर)" के साथ सफलता मापदंड वर्ष 2010-11 के लिए 70 % तय किया गया। सफलता मापदंड दावों कम्प्यूटर पर संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया तथा साथ ही मैन्युअल प्रक्रिया से स्वतंत्र है। ईपीएफओ ने वर्ष 2009-2010 के दौरान 120 ईपीएफओ के कम्प्यूटरीकरण की जिम्मेदारी निभाई, जो "कम्प्यूटरीकृत ऑफिस की संख्या" के नाम से एक अन्य सफलता सूचक था। यहां तक कि सॉफ्टवेयर तथा टेस्टिंग को अंतिम रूप देने के बाद, अकाउंटिंग प्रक्रिया के मैन्युअल (एमएपी) की आवश्यकता के अनुरूप पेपर रिपोर्ट का निर्माण तथा मॉनिटोरिंग कार्यालयों में ही जारी रखनी पड़ी। दोनों प्रक्रियाओं- यानि जिसने समान दावे के लिए प्रक्रिया को दुगना किया तथा दावों के धीमे निपटारे में परिणत हुई, के समानांतर संचालन पर परिणामी बाधाएं थीं, जिसके कारण पहले छह महीनों में कमी पैदा हुई।
- ii) कार्यालयों के लिए गहन प्रबंधन परिवर्तन एक मुद्दा था। भले ही स्टाफ प्रशिक्षित थे, पर सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया के लिए नए होने के साथ वे काफी धीमे रहे, क्योंकि उनमें से अधिकतर मध्य आय समूह के थे तथा लगभग संपूर्ण कम्प्यूटरीकृत पर्यावरण में कार्य करने से परिचित नहीं थे।
- iii) जिन ऑफिसों को दिसम्बर 2010 तक कम्प्यूटरीकृत किया गया, उन्होंने धीरे-धीरे नए ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में दावों के निपटारे में गति पकड़ी। अधिक गहन प्रशिक्षण सत्र के साथ स्टाफ वर्ग प्रक्रिया से पूर्ण रूप से परिचित हुए। कार्य ने अगले तीन से चार महीनों में रफ्तार पकड़ी तथा इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रदर्शन के लक्ष्य से कम रहने की संभावना थी। यह माना गया कि मार्च 2011 के अंत में ऑफिस 55% - 60% का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
- iv) इन अप्रत्याशित मुद्दों तथा निपटारे की अपेक्षित रफ्तार के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष में 70% का लक्ष्य बेबुनियाद था। लक्ष्य में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो क्षमता के अनुरूप हासिल किया जाने योग्य हो। कार्यालयों को उसी रफ्तार से निपटारों के दावों की संख्या प्राप्त होती रही, जो पिछले साल की थी। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण के लिए कई चरणों से गुजरना है, कार्यालयों द्वारा इसी रफ्तार से मौजूदा वर्ष के दौरान दावों के निपटारे का प्रयास किया गया है।
- v) इसी के अनुरूप 2011-12 के लिए 55% का लक्ष्य तय किया गया, जो पिछले वर्ष यानि 2010-11 की तुलना में कम था।

उद्देश्य-3 : खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बाल श्रम को खत्म करना

एनसीएलपी योजना: एनसीएलपी योजना (उद्देश्य-3) की सफलता बाल श्रम की पहचान कर उन्हें योजना के तहत चलाए जा रहे स्पेशल स्कूलों में शिक्षा देकर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने में है। इनकी माप मुख्य रूप से जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली एनसीएलपी सोसाइटियों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लेकर की जाती है। केन्द्रीय पर्यवेक्षण समिति का सदस्य होने के नाते राज्य सरकारों के श्रम विभाग बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी में शामिल होते हैं।

उद्देश्य-4 : कौशल विकास को बढ़ावा देना

विश्व बैंक के जरिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में आईटीआई को सीओई में अपडेट करने के लिए- कम बजट प्राप्त हुआ, जिसका कारण यह था कि वार्षिक योजना तैयार करने के समय तक, व्यय कम था यानि रु. 40 करोड़ था, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 211-12 के लिए बी.ई. रु. 100 करोड़ रु. रखा गया।

पिछले तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर एमईएस में निम्न ट्रेनिंग लक्ष्य का कारण, मूल्यांकन की विधि का योग्यता आधारित मानकों में परिवर्तन है, जिस कारण मूल्यांकन की अवधि तथा गुणवत्ता में इजाफा हुआ।

उद्देश्य-6 : औद्योगिक विवादों की रोकथाम तथा निपटारा व श्रम को सुदृढ़ करना

कानूनों के प्रवर्तन की प्रणाली।

कार्यवाही 1: मजदूरों को राहत तथा लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन।

सफलता सूचक 1: बीओसीडब्ल्यू अधिनियम समेत सभी श्रम कानूनों के तहत जांच की गई।

- विस्तृत परिभाषा: केंद्रीय दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों की लागू श्रम कानूनों के तहत जांच की गई। इकाई संपन्न की गई जांच की संख्या को दर्शाती है।
- आधार: सफलता के सूचक के लक्ष्य का प्रस्ताव पिछले साल की वास्तविक उपलब्धियों तथा भविष्य के प्रस्तावित आंकड़ों के आधार पर दिया गया।
- प्रस्तावित मापन विधि:- मापन क्षेत्र के मासिक रिपोर्ट के आधार पर होगा।
- औचित्य: जांचों की संख्या श्रम प्रवर्तन गतिविधियों के दायरे को बताती है।

सफलता सूचक 2: दोषी रोजगार प्रदाता के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत क्लेम केस दायर।

- विस्तृत परिभाषा: यह प्रवर्तन प्रणाली द्वारा ऐसे दोषी रोजगार प्रदाता के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दायर किए गए क्लेम केस को दर्शाता है, जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में असफल रहे हों।
- आधार: सफलता के सूचक के लक्ष्य का प्रस्ताव पिछले साल की वास्तविक उपलब्धियों तथा भविष्य के प्रस्तावित आंकड़ों के आधार पर दिया गया।
- प्रस्तावित मापन विधि:- मापन क्षेत्र के मासिक रिपोर्ट के आधार पर होगा।
- औचित्य: दायर किए गए क्लेम केस की संख्या न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के क्रियावयन के प्रवर्तन के दायरे को सूचित करेगी।

कार्यवाही 2: औद्योगिक विवादों का निपटारा।

सफलता का सूचक: औद्योगिक विवादों का निपटारा।

- क) विस्तृत परिभाषा: आई.डी.अधिनियम के तहत औद्योगिक विवादों का निपटारा।
- ख) आधार: सफलता के सूचक के लक्ष्य का प्रस्ताव पिछले साल की वास्तविक उपलब्धियों तथा भविष्य के प्रस्तावित आंकड़ों के आधार पर दिया गया।
- ग) प्रस्तावित मापन विधि:- मापन क्षेत्र के मासिक रिपोर्ट के आधार पर होगा।
- घ) औचित्य: आई.डी.अधिनियम के तहत निपटाए गए औद्योगिक विवादों की संख्या निपटारे के दायरे की सूचना देती है।

कार्यवाही 3: मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन के ई-शासन।

सफलता सूचक: वेबसाइट का शुभारंभ

- क) विस्तृत परिभाषा: सामरिक सीएलसी संगठन (ग) के लिए एक विशेष वेबसाइट को शुरू किया जा रहा है
- ख) आधार: सामरिक योजना के एक हिस्से के रूप में।
- ग) प्रस्तावित मापन विधि: तारीख जिससे प्रस्तावित वेबसाइट का शुभारंभ होगा है।
- घ) औचित्य: विशेष प्रस्तावित वेबसाइट के शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव स्थिर, सक्रिय और इंटरैक्टिव जानकारी के संकलन के प्रयासों का वेबसाइट में संकेत होगा

कार्यवाही 4 : केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण।

सफलता सूचक: प्रशिक्षित अधिकारी

- क) विस्तृत परिभाषा: प्रशिक्षित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या।
- ख) आधार: सफलता के सूचक का लक्ष्य ट्रेनिंग कार्यक्रम की संख्या के आधार पर तथा अनुशंसित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।
- ग) प्रस्तावित मापन विधि: मापन ट्रेनिंग सेक्शन की मासिक रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
- घ) औचित्य: प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या सीएलसी(सी) संगठन द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित करने की योजना के प्रयास की सीमा को दर्शाती है।

उद्देश्य-7 : मजदूरों की सुरक्षा तथा सुरक्षा दशाओं में सुधार लाना।

कार्यवाही 2 के संदर्भ में सफलता के मूल्यांकन के सूचक अर्थात् खदानों की कार्य दशाओं में सुधार फील्ड के हरेक अधिकारी के मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट के जरिए माना जाएगा।

खण्ड 5:

अन्य विभागों से विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना, व्यापक रूप में एकीकृत वित्त प्रभाग/व्यय विभाग द्वारा फाइलों के प्रभावी निस्तारण तथा डीओपीटी/यूपीएससी द्वारा रिक्तियों को भरे जाने, एवं जहां आवश्यक हो, मानवशक्ति बढ़ाने के लिए व्यय विभाग द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

श्रम एक 'समवर्ती' विषय है। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि मंत्रालय के सरोकार क्षेत्र, वही क्षेत्र हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाती है, जिन्हें मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत संसाधन भी आवंटित किए जाते हैं। यद्यपि विविध क्रियान्वयन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करने के समय उनके साथ चर्चाओं, तथा क्षेत्रीय अधिकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकारों से नियमित संपर्क रखा जाता है, लेकिन मंत्रालय के विविध उद्देश्यों/क्रियाकलापों के अंतर्गत अनेक सफलता सूचकों की प्राप्ति, राज्य की प्रतिक्रिया तथा उनके द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

उद्देश्य 1 के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं- असंगठित सेक्टर के मजदूरों के लिए कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में तेजी लाना।

- क) स्वास्थ्य बीमा कवर (आरएसबीवाई) को लक्षित समूह तक ले जाने में बाधाएं: (i) राज्यों की भागीदारी की इच्छा, तथा (ii) एसएनए द्वारा उपलब्ध डेटा में अशक्तता।
- ख) श्रम कल्याण संगठन में योजनाओं से जुड़े कार्यबोझ कई गुणा बढ़ा है, जबकि कर्मचारी बल कम हुआ है। चिकित्सा अधिकारियों की पोस्टिंग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है, जैसे खाली पड़े पदों की संख्या इतनी बड़ी है की जो प्रतिकूल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रभावित कर रही है।
- ग) बीड़ी मजदूरों के लिए हाउसिंग योजना के तहत, बीड़ी मजदूरों को भूमि के स्वामित्व से जुड़े कई दस्तावेज सौंपना होता है तथा ये दस्तावेज राज्य सरकार के संबद्ध विभागों से दिए जाते हैं, जिसमें काफी समय लगता है, इसलिए हाउसिंग अनुदान की मंजूरी में देर हो जाती है। लक्ष्य मान 0/0 कल्याण आयोग में प्राप्त आवेदन से जुड़ा होता है। हाउसिंग स्कीम के ईडब्ल्यूएस घटक के तहत, घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, जहां राज्यों को घरों को पूरा करने में काफी वक्त लगता है।
- घ) पिछले कुछ वर्षों में बीड़ी कल्याण फंड के तहत वास्तविक व्यय काफी बढ़ा है, जबकि सेस संग्रह व्यय के समानुपातिक नहीं है।
- ङ) लक्षित मूल्य बीड़ी छात्रवृत्ति के तहत पूरी तरह वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित बजट पर से निर्भर है।
- च) छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य गरीब बीड़ी मजदूरों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2009-10 से बीच 16 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मंजूर की गई, जिसमें रु. 127.23 करोड़ का खर्च आया, जबकि 2007

से 09 के बीच 100.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मंत्रालय को अपने उद्देश्य में सफलता मिली है।

उद्देश्य 2 के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं- संगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना:

1. कार्यवाही 1, सफलता सूचक (i) तथा (ii) के संदर्भ में लक्ष्य पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पुष्टी की आवश्यकता होगी।
2. कार्यवाही 1, सफलता सूचक (iv) के संदर्भ में खोले जाने वाले नए अस्पतालों की संख्या उस भौगोलिक क्षेत्र में शामिल बीमित व्यक्तियों की संख्या तथा संबंधित राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। इसलिए अगले वर्ष का लक्ष्य 2012-13 तथा 2013-14 के लिए संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर ही तय किया जा सकता है।
3. कार्यवाही 2 के (iii) तथा (iv) सफलता सूचकों के संदर्भ में सफलता हासिल करना समग्र आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, जो सीधा प्रतिष्ठान के कवरेज तथा सदस्यता में इजाफा से जुड़ा है।

उद्देश्य 3 - संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन किया जाना -के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावटें:

1. खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रमों से निकाले गए बाल श्रमिकों हेतु, बच्चों का विशेष स्कूलों में नामांकन, एनसीएलपी स्कीम में स्थापित मानदंडों के अंतर्गत एनसीएलपी समितियों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण तथा किसी विशेष स्कूल हेतु ऐसे बच्चों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।
2. चौदह वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले अनेक बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प चुनने के बजाय रोजगार/स्व-रोजगार का विकल्प चुनते हैं।
3. विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम अपनाते हैं। किसी राज्य विशेष में स्थित एनसीएलपी स्कूलों में एकसमान पाठ्यक्रम अपनाने के लिए, राज्य श्रम विभाग द्वारा राज्य शिक्षा विभाग से सलाह लेते हुए पहल की जानी है। इसे ध्यान में रखा जाएगा कि विशेष स्कूलों में नामांकित, किसी विशेष श्रेणी से संबंधित तथा नगण्य शैक्षिक पृष्ठभूमि या इससे रहित बच्चे किसी राज्य विशेष में स्कूलों हेतु विनिर्दिष्ट सामान्य शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकें अपनाने की स्थिति में नहीं होते। इसके अतिरिक्त, इसके लिए विविध स्तरों पर कन्वर्जेंस की अपेक्षा।
4. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित कल्याण योजनाओं का एक लक्षित समूह होता है, जिनपर योजना लागू की जाती है और बाल श्रमिकों तथा या उनके परिवारों को लाभ दिए जाते हैं, ऐसे में योजनाओं में सुधार की आवश्यकता होती है। योजनाओं में सुधार लाने के लिए, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, जैसे योजना आयोग, व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति से स्वीकृति की आवश्यकता है। इसमें 3 महीने से लेकर 2 वर्षों का समय लग सकता है। जैसा कि

माना जाता है कि बाल श्रम गरीबी का एक नतीजा होता है और मध्यम आंकलनों से 30 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तथा इनमें से केवल दस प्रतिशत लोगों तक भी पहुंचने के लिए एक गहन प्रयास की आवश्यकता होगी।

5. यह स्पष्ट होता है कि खतरनाक पेशों/प्रक्रियाओं से शामिल बाल श्रमिकों को हटाने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की कल्याण योजनाएं साथ संयोजित हैं, क्योंकि अधिकतर समस्याएं गरीबी से उत्पन्न होती हैं तथा सभी योजनाओं का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन ही है। अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग, हाउसिंग तथा शहरी गरीबी उन्मूलन, रेलवे, महिला तथा बाल विकास को संयोजित किया जा सकता है, और बाल श्रम के मूल पर प्रहार किया जा सकता है।

उद्देश्य 4 के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं- कौशल विकास को बढ़ावा देना:

1. विभिन्न योजनाओं के तहत फंड का रिलीज राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।
2. क) आईटीआई'ज प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं तथा सभी नवीनीकरण/आधुनिकीकरण की विभिन्न अवस्था में हैं तथा इसलिए आवश्यक डेटा की अनुपलब्धता में व्यक्ति आधारित प्रशिक्षण या नौकरी स्थापन संभव नहीं है। इस उद्देश्य के लिए एमआईएस का विकास किया जा रहा है।
ख) चूंकि आईटीआई राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, आईटीआई खोलने की जिम्मेदारी तथा सीटिंग क्षमता को बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों से प्राप्त गुणवत्ता प्रस्ताव पर भी निर्भर करती है।
3. एमईएस के तहत लक्ष्यों की उपलब्धि वित्त मंत्रालय द्वारा रु. 60 करोड़ प्रदान करने पर टिकी है। एमईएस का प्रदर्शन राज्य विशेष के प्रदर्शन पर टिका है, चूंकि ट्रेनिंग के कार्य अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

उद्देश्य 5 के संदर्भ में लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली बाधाएं; रोजगार सेवाओं का सुदृढीकरण:

1. जहां तक एससी/एसटी नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के कोचिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण के जरिए कल्याण क्रियाकलाप से जुड़ी कार्यवाही की बात है, तो कोचिंग सह मार्गदर्शन केंद्रों (सीजीसीएस) के द्वारा चलाई जा रही इन गतिविधियों के लिए किसी लक्ष्य को तय करना संभव नहीं है, क्योंकि इन गतिविधियों के तहत आने वाली सेवाएं उन्हीं उम्मीदवारों को प्रदान की जा रही हैं जो उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं।
2. रोजगार में लगे लोगों पर दूसरी रिपोर्ट अगस्त 2011 तक तैयार की जाएगी, हालांकि इसे योजना आयोग/पीएमओ/कैबिनेट सचिवालय की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जाएगा।

उद्देश्य 6 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं- औद्योगिक विवाद की रोकथाम तथा निपटारा व श्रम कानूनों की प्रवर्तन प्रणाली का सुदृढीकरण।

कार्यवाही 3, के तहत का सफलता सूचक अर्थात् सीएलसी (सी) संगठन के लिए लक्षित तिथि तक वेबसाइट जारी करना प्रॉजेक्ट रिपोर्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग तथा इसकी लॉन्चिंग में नैशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

उद्देश्य 7 के संदर्भ में लक्ष्यों को हासिल करने में बाधाएं- सुरक्षा दशाओं तथा मजदूर की सुरक्षा में सुधार करना:

1. अध्ययन का संचालन, कार्यवाही 1 के संदर्भ में डीजीएफएसएलआई द्वारा सर्वेक्षण, सफलता सूचक [iii] मानव बल के संवर्धन पर निर्भर करता है, जिसके लिए व्यय विभाग के समक्ष मामले को उठाया गया है।
2. महानिदेशक एफएसएलआई द्वारा अध्ययन, सर्वेक्षण और निरीक्षणों को संचालित किया गया, कार्यवाही 1, सफलता सूचक (ii) के संदर्भ में, व्यय विभाग के साथ जो बात जनशक्ति की वृद्धि पर निर्भर है उठायी गयी।
3. डीजीएमएस द्वारा 2011-12 से 2013-14 में किए जाने वाली प्रॉजेक्ट से जुड़ी जांचों के आंकड़े फील्ड/जांच अधिकारियों के खाली पदों को भरने पर निर्भर करता है।

धारा 6:
मंत्रालय/विभाग का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव	निम्नांकित विभाग, विभागों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14
1 संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज की उपलब्धता में बढ़ोतरी	राज्य सरकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत शामिल बीपीएल परिवार।	1.20 करोड़	2.33 करोड़	2.50 करोड़	3.00 करोड़	3.00 करोड़
2 संगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज की उपलब्धता में बढ़ोतरी	राज्य सरकार	वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत शामिल व्यक्तियों की संख्या	2152771	6745990	2500000	2500000	2500000
3 संगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज की उपलब्धता में बढ़ोतरी	राज्य सरकार	एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस (ईएसआई) योजना के तहत कवर किए व्यक्तियों की संख्या	1.39 करोड़	1.46 करोड़	1.53 करोड़	1.60 करोड़	1.68 करोड़
4 कुशल मानवबल की उच्च उपलब्धता	राज्य सरकार और अन्य केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग	सरकारी आईटीआई में ट्रेनिंग सीटों की उपलब्धता	432006	457794	477000	497000	515000
5 कुशल मानवबल की उच्च उपलब्धता	राज्य सरकार और अन्य केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग	कौशल विकास केंद्रों (एसडीआई)/ व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रदाता के पास सीटों की उपलब्धता।	120000	300000	300000	1000000	1000000
6 खतरनाक गतिविधियों से बाल श्रम का प्रगतिशील उन्मूल	राज्य सरकार	खतरनाक व्यवसायों से वापस लेने के बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्कूलों में बच्चों का नामांकन	39558	42000	45000	55000	60000
7 लयबद्ध औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना।	अशक्त	केंद्रीय दायरे में समझौते के जरिए निपटाए गए औद्योगिक विवादों की प्रतिशतता।	34%	34%	35%	35%	35%